न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील/टीए/4018/2006/जोधपुर

1. अन्ना कंवर पुत्री भूरदान जाति चारण निवासी ग्राम बोरून्दा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. चण्डीदान पुत्र तेजदान चारण निवासी ग्राम बोरून्दा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

–प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री जी.एस. लखावत, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 04.10.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 92ए के अन्तर्गत प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत

कर कथन किया कि ग्राम बोरून्दा स्थित खसरा नम्बर 2008 रकबा 05बीघा 05बिस्वा, खसरा नम्बर 2009 रकबा 07बीघा 17बिस्वा तथा 2010 रकबा 04बीघा 08बिस्वा भूमि पारिवारिक सेटलमैन्ट दिनांक 12–12–1972 से विभाजन में वादी को प्राप्त हुई है, जिस पर वादी बतौर खातेदार काश्तकार वर्ष 1972 से काबिज चला अर रहा है। अतः वादी को उक्त विवादित आराजी का खातेदारी घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावे, जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर अनुतोष सहित चार विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 29–11–2005 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर तहसीलदार को आदेशित किया कि विावदित आराजी से वादी को बेदखल कर प्रतिवादी को कब्जा दिलाया जावे। साथ ही प्रतिवादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24–04–2006 से आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने

से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित की, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी में नाम दर्ज है तथा स्वंय वादी ने ऐसा कोई आधार नहीं बताया जिससे यह भूमि पारिवारिक व्यवस्था पत्र से बिना अन्ना कंवर की सहमति से वादी को प्राप्त होती हो तथा अस्पष्ट अभिवचनों के आधार पर जो वाद वादी ने प्रस्तुत किया वह किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं था। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी स्वंय वादी था तथा जब स्वयं वादी का खातेदारी बाबत् क्लेम किसी भी प्रकार से साबित नहीं था तो न्यायालय को प्रथम विचार वादी के प्रकरण बाबत् करना चाहिए था किन्तु अपीलीय न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम को अपने निर्णय का आधार बनाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि वादी दावा दायरी के समय अतिक्रमतण कर भूमि पर काबिज हुआ है, इस कारण उसकी हैसियत अतिक्रमी की है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद का खारिज किया एवं काउन्टर क्ल्म को स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत होनी चाहिए थी किन्तु प्रत्यर्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक ही अपील प्रस्तुत की, जो संधारण योग्य नहीं थी। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्ययालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 2003 डीएनजे राज I पेज 107, 2007 आरआरटी पेज 385 एवं 2010 आरबीजे पेज 162 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वादी एवं उसके भाईयों के मध्य दिनांक 12-12-1972 को हुए पारिवारिक समझौते में प्राप्त हुई है तथा पूर्व में यह भूमि सेण्ट्रल बैक आफ इण्डिया के पास रहन रखी हुई थी और दिनांक 21-06-2000 को बैक ऋण का चुकारा होने पर पारिवारिक समझौते के अनुसार उक्त भूमि पर वादी काबिज हुआ। उनका कथन है कि विवादित आराजी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति थी, वादी व उसके सात भाईयों का संयुक्त परिवार था, प्रतिवादी अन्नाकंवर वादी के भाई लालसिंह की पत्नी है, जिसने अपने जवाब में पारिवारिक समझौते से इन्कार नहीं किया है तथा पारिवारिक समझौते पर लालसिंह के हस्ताक्षर है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के तथा जमाबन्दी को रिकार्ड पर लिये बिना विवादित भूमि नामान्तरकरण संख्या 973 के जरिये अन्नाकंवर के नाम दर्ज होना तथा वादी द्वारा उक्त नामान्तरकरण को चुनौती नहीं दिये जाने के आधार पर वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर उनका पक्षकार पारिवारिक समझौते अनुसार वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय से प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में इस बारे में विवाद नहीं है कि वादी/प्रत्यर्थी का वाद खारिज करने एवं प्रतिवादी/अपीलार्थी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने के निर्णय के विरूद्ध वादी/प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष केवल एक अपील पेश की थी। आदेश 8 नियम 6 सी.पी.सी. 1908 के प्रावधानों के अवलोकन से यह इंगित होता है कि काउन्टर क्लेम भी एक वाद का ही रूप होता है तथा उस पर वह सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते हैं, जो कि किसी वाद में लागू होते हैं। ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1202 'प्रीमियर टायर्स लि0 बनाम केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन' के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मत प्रतिपादित किया गया है–

> "Where no appeal is filed, as in this case from the decree in connected suit it has the same effect of non filing of appeal against a judgment or decree…… Thus the finality of finding recorded in the connected suit, due to non-filing of appeal precluded the Court from preceding with appeal in other suit."

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1645 'लोनान कुट्टी बनाम थोमन' के मामले में भी यह मत प्रतिपादित किया गया है कि दो वादों के कन्सोलिडेट हो जाने के बाद यदि एक ही निर्णय के द्वारा दोनों वादों का निस्तारण किया जाता है तो ऐसे मामले में भी धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान आकर्षित होंगे। आर. एस.ए.नबंर 14/2015 निर्णय तिथि दिनांक 28–1–15 'गिरिजा वगैरह बनाम राजन वगैरह' के प्रकरण में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी वाद में काउन्टर क्लेम पेश होता है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत होती है, तब ऐसे मामले में धारा 11 सी.पी.सी. में वर्णित पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू हो जायेगा। इस संबंध में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था निम्नानुसार है–

"From the above discussion, it is discernible that the law stated in Order 8 Rule 6A C.P.C. makes it abundantly clear that the counter claim in a suit will have all the characteristics of a cross suit including the vulnerability of suffering the bar of res-judicata enshrined in section 11 C.P.C., if not properly challenged.....Therefore, I find that the question of law arising in this case can only be decided against the appellants, finding that if a defendant who raised a counter claim in a suit, fails both in the suit and in the counter claim, will have to file separate appeals challenging the decree in the suit and the counter claim. Since the appellants in this case failed to do so before the lower appellate court, I am of the view that the first appeal itself was barred by res-judicata."

9. उक्त तीनों मामलों में प्रतिपादित सिद्धांत मौजूदा प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में भी वादी/प्रत्यर्थी द्वारा विचारण न्यायालय के वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई एक ही अपील पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित थी। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील तय करते समय इस तथ्यात्मक व विधिक पहलू की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वादी/प्रत्यर्थी को दो पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत करके ही विचारण न्यायालय के निर्णय निर्णय व डिक्री को चुनौती देनी चाहिए थी तथा उनके द्वारा ऐसा नहीं करने से प्रथम अपील पोषणीय ही नहीं थी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारिज अपीलाधीन निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

10. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-11-2005 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य